

## न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 123/2019

इंडसइंड बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 2401, जनरल थिम्मया रोड ( ईस्ट स्ट्रीट ), कन्टोनमेन्ट पुणे- 411001, कन्ज्यूमर डिविजन निगम कार्यालय, 34, जी एन चेटी रोड, टी नगर चैन्नई-600017, क्षेत्रीय कार्यालय 5 वीं मंजिल यूनिट एसपायर बिल्डिंग आम्रपाली सर्किल के पास विवन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पुरुषोत्तम।

— प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह, निवासी कांट, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।  
—( ऋणी/बंधनकर्ता ) अप्रार्थी
2. जीवन खान पुत्र श्री असमत खान, निवासी जाबासर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।  
—( सहऋणी/बंधनकर्ता ) अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित:- एडवोकेट श्री मधुसूदन शर्मा ( इंडसइंड बैंक ) -..... प्रार्थी बैंक की ओर से।

### आदेश

दिनांक 24.07.2019

प्रार्थी इंडसइंड बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं० 1 ने बतौर ऋणी एवं अप्रार्थी सं० 2 ने बतौर सह ऋणी प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड से दिनांक 31.10.2014 को ऋण अनुबन्ध सं० आरजेएच 00762 डी निष्पादित कर 6,50,000/- रुपये ( अक्षरे छः लाख पचास हजार रुपये मात्र ) का ऋण लिया था, अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण अनुबन्ध अन्तर्गत लिये गये ऋण व उसके ब्याज के पूर्ण भुगतान सिक्क्योरिटी के रूप में प्रार्थी बैंक से ऋण अनुबन्ध सं० आरजेएच 00639 डी के अन्तर्गत ऋणित वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18PA0607 चेसिस नम्बर 436051BTZ108161, इंजन नम्बर 697TC55BTZ109572 एवं मॉडल TATA LPO 1512 TC STR BS III ऋण अनुबन्ध सं० आरजेएच 00512 डी के अन्तर्गत ऋणित वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ10PA2166 चेसिस नम्बर 359271CWZ709929, इंजन नम्बर 697D40CWZ867772 एवं मॉडल TATA LPO 1512 TC/55 50% PS W/O FES BS2 ऋण अनुबन्ध सं० आरजेएच 00632 डी के अन्तर्गत ऋणित वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18GA5874 चेसिस नम्बर 373145GSZ124323, इंजन नम्बर 697TC56GSZ134279 एवं मॉडल TATA LPO 1618/62 BSIII ऋण अनुबन्ध सं० आरजेएच 01635 सी के अन्तर्गत ऋणित वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18UA7678 चेसिस नम्बर E5E71949, इंजन नम्बर GHE4E55829 एवं मॉडल M&M BOLERO DI PLUS AC 2523 CC BSIII प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पक्ष में बंधक किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थीगण का खाता एन०पी०ए० घोषित कर दिया। अप्रार्थीगण के ऋण खाते में मय ब्याज दिनांक 30.06.2018 तक रुपये 5,74,945/- देय निकलते हैं और इस राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत

जिला कलेक्टर झुंझुनू

(जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)  
झुंझुनू

दिनांक 17.07.2018 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी देय राशि का भुगतान अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण ने धारा 13 ( 2 ) के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड को नहीं किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा के प्रावधान 14 के अनुसार प्रार्थी बैंक चरण सं0 2 में वर्णित प्रत्याभूत संपत्ति का श्रीमान् के द्वारा कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश इस आशय का फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 में वर्णित प्रत्याभूत वाहन का कब्जा जहां कहीं भी स्थित/प्रयोग में हो उस क्षेत्र से प्रार्थी को स्वयं, ऐजेन्ट या नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे, यह भी आदेशित किया जावे कि आवश्यकता होने पर वाहन जहां कहीं भी स्थित/प्रयोग में हो उस क्षेत्र संबंधित पुलिस अधीक्षक स्वयं या अपने मातहत से वाहन का कब्जा पुलिस बल द्वारा अप्रार्थीगण से प्राप्त करे तथा कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रत्याभूत वाहन का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति करे दिलाने के आदेश पारित फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखे गये वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18PA0607 चेसिस नम्बर 436051BTZ108161, इंजन नम्बर 697TC55BTZ109572 एवं मॉडल TATA LPO 1512 TC STR BS III, वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ10PA2166, चेसिस नम्बर 359271CWZ709929, इंजन नम्बर 697D40CWZ867772 एवं मॉडल TATA LPO 1512 TC/55 50% PS W/O FES BS2, वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18GA5874, चेसिस नम्बर 373145GSZ124323, इंजन नम्बर 697TC56GSZ134279 एवं मॉडल TATA LPO 1618/62 BSIII, वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18UA7678, चेसिस नम्बर E5E71949, इंजन नम्बर GHE4E55829 एवं मॉडल M&M BOLERO DI PLUS AC 2523 CC BSIII का पजेशन प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)

जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, झुझुनू